



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1547]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26, 2009/अश्विन 4, 1931

No. 1547]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26, 2009/ASVINA 4, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2009

का.आ. 2463(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खण्ड 3 तथा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार संख्या का.आ. 976(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना में और आगे संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, पैराग्राफ (1) में, मौजूदा प्रावधानों के परचात, निम्नलिखित मद को शामिल किया जाए, नामतः :—

“(iv) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्यकर आयात परमिट के जरिए पशुधन उत्पाद।”

[फा. सं. 50-152/2008-एलडीटी (एएक्स्यु)]

अरविंद कौशल, संपुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :— भारत के राजपत्र में मूल अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2001 के तहत प्रकाशित हुई थी तथा संख्या का.आ. 770(अ), दिनांक 6 जून, 2005, सं. का.आ. 1044(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2005, सं. का.आ. 976(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2009 तथा सं. का.आ. 2148(अ), दिनांक 20 अगस्त, 2009 के तहत संशोधित हुई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2009

S.O. 2463(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby further amends the notification of the Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 976(E), dated the 20th April, 2009, namely :—

In the said Notification, in the paragraph (1), after the existing provisos, the following item shall be inserted at Sl. No. (iv) namely :—

“(iv) Livestock products against Sanitary Import Permit as per provision of Livestock Importation Act, 1898.”

[F. No. 50-152/2008-LDT (AQ)]
ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 655(E), dated the 7th July, 2001 and amended vide number S.O. 770(E), dated the 6th June, 2005, vide number S.O. 1044(E), dated the 25th July, 2005, vide number S.O. 976(E), dated the 20th April, 2009 and vide number S.O. 2148(E), dated the 20th August, 2009.